

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक /6 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन नलकूप, निर्माण, नहर निर्माण लिफ्ट निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4084/प्र0अ0/बजट/बी-1, (सामान्य) दिनांक 16 दिसम्बर 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषित नलकूप, नहर, लिफ्ट एवं बाढ़ सुरक्षा की निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व अवमुक्त धनराशि के व्यय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 4200.00 लाख (रु0 बयालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार संगत मदों में व्यय हेतु एक मुस्त आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त एक मुस्त आपके निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रथमतः उन योजनाओं पर पूर्ण धनराशि आवंटित की जायेगी जिन योजनाओं में रु0 100.00 लाख से कम की धनराशि अवशेष हो, ताकि निर्माणाधीन योजनाओं की संख्या कम हो।
- (ii) दूसरी वरीयता उन योजनाओं को दी जायेगी जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण किये जा चुके हो।
- (iii) नलकूप निर्माण मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि में से रु0 447.90 लाख की धनराशि की सी0सी0एल0 जनपद ऊधमसिंह नगर के नलकूप खण्ड बाजपुर के अधिशासी अभियन्ता को लघु सिंचाई विभाग के द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के विभिन्न ब्लॉकों में बनाये जा रहे आर्टीजन कूपों के लिए समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगी।
- (iv) उपरोक्तानुसार योजनाओं पर धनराशि अवमुक्त करते हुए अवमुक्त धनराशि का योजनावार विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्त विभाग एवं नाबार्ड को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
- (vi) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।
- (vii) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
- (viii) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।
- (ix) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

- (x) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।
- (xii) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (xiii) आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0-10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xiv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
- (xv) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- (xvi) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 610/3(150)XXVII (1)/ 2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 26 96 (1) / 11-2017-04(05) / 2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 3- निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
- 5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त अनुभाग-1 एवं वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
- 11- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से
देवेन्द्र पालीवाल
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

क्र० स०	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	अवशेष प्राविधान	(धनराशि रू० लाख में) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-04-नलकूपों का निर्माण-051-निर्माण -98- नाबार्ड पोषित -01-(आरआईडीएफ योजना-24-वृहद निर्माण कार्य	500.00	500.00
2	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-06-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें-051-निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01- नहरों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य।	3436.00	3336.00
3	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-07-उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार-051-निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01- नहरों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य।	20.00	20.00
3	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-051- निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01-बाढ़ नियंत्रण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य।	444.00	344.00
		4400.00	4200.00

(रू० बयालीस करोड़ मात्र)

देवेन्द्र पालीवाल
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव